हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 13 अंक : 5 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, 2022

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in

मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

लम्बी और सफल छलांग को फिर तैयार हुआ समता आंदोलन

समता आन्दोलन ने मनाया अपना 15वां स्थापना दिवस

जयपुर, 11 मई । काल के घोडे पर जीन कसके एड लगाने को फिर से तत्पर दिखाई दे रहा है समता आंदोलन। दृष्टांत का माध्यम बना 11 मई को प्रदेश मुख्यालय पर मनाया गया 15 वाँ स्थापना दिवस। कोरोना के मृत्यु ताण्डव ने पूरे देश की जिस गति को रोका था उसका प्रभाव समता आंदोलन पर भी पडा। लेकिन जयपुर के महावीर विद्यालय के खचाखच भरे सभागार के माध्यम से समता सदस्यों ने साफ घोषणा कर दी कि हम न तो थके हैं और न ही डरे हैं।

वयोवृद्ध जस्टिस पानाचंद जैन, जस्टिस करणी सिंह, पूर्व आई ए एस भागीरथ शर्मा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से सुशोभित समारोह के मंच ने आश्वस्त किया कि संवैधानिक शुचिता बनाए रखकर समन्वय की सतत धारा के रूप में समता आंदोलन राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाए रखने के अपने संकल्प से एक इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है।

समता गान से शुरू हुए स्थापना दिवस समारोह की सबसे खास घटना रही आधे घण्टे की डोक्यूमेंट्री। (शेष पेज -4 पर)

समता आंदोलन के उद्देश्यों, गतिविधियों, कार्यशैली, लक्ष्यों, उपलब्धियों को दर्शाने वाली आधा घंटे की डॉक्यूमेंटरी का लोकार्पण

अरिंदम मिश्र द्वारा लिखित और प्रस्तुत की गई तथा के.के बोहरा के निर्देशन में बनी आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। समता आंदोलन के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा की परिकल्पना इस वृत चित्र में तथ्यों का संयोजन इतनी सुंदरता और सुघडता से किया गया है कि एकदम अंजान व्यक्ति भी मात्र आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखकर समता आंदोलन की 14 साल तक की तपस्या और प्राप्त फल को समझ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के बारे में राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को पलटा

''अगर कई कर्मचारी आरक्षित कोटे का लाभ ले चुका है, तो पुन: जनरल कैटिगरी की लाइन में खडा नहीं हो सकता है''

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के दिनांक 20.02.2015 को दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के निर्णय में आयकर विभाग के कर्मचारी एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मुकेश कुमार मीणा को वर्ष 2007 में आगामी प्रमोशन प्राप्त करने को लेकर सामान्य वर्ग में आयकर निरीक्षक पद पर क्वालीफाई करने के लिए ग्रेस मार्क्स की अनुमति प्रदान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सैन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रायब्यूनल की जोधपुर बैंच के उस तर्क संगत आदेश को भी बहाल कर दिया कि अभ्यर्थी पहले ही शिड्यूल ट्राइब (एस.टी.) कैटेगरी में पास हो चुका है, अत: उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने माना कि ऐसा करने से 5 ग्रेस मार्क्स दिए जाने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है क्योंकि यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जो न्यूनतम अंक प्राप्त करने में आंशिक रूप से विफल हो जाते हैं। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बैंच ने तदनुसार ट्रायब्यूनल के निर्णय को बहाल करते हुए केन्द्र सरकार की अपील को मंजूर कर लिया। मुकेश कुमार मीणा आयकर निरीक्षक की विभागीय परीक्षा देने से पूर्व आयकर विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती हुए थे और बाद में टैक्स अस्सिटैंट, सीनियर टैक्स अस्सिटैंट और ऑफिस सुपरइन्टैन्डैंट के पदों पर पदोन्नत हुए। यदि सामान्य वर्ग का कोई अभ्यर्थी 45 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, जबकि एस.सी. और एस.सी.अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक सीमा 40 प्रतिशत है।

चूंकि मुकेश ने प्रत्येक विषय में 45 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे। सिर्फ अदर टैक्सैस के पेपर में ही उन्हें 43 प्रतिशत अंक मिले थे। अत: सामान्य वर्ग में क्वालीफाई करने के लिए उनका प्रयास 2 प्रतिशत ग्रेस मार्क्स प्राप्त करने के लिए था, जबकि वह पहले ही एस.सी. कैटेगरी में पास हो चुके थे। वह भविष्य के प्रमोशन्स की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सामान्य वर्ग में आना चाहते थे।

कुल कोटा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा

मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सात दिन में आरक्षण के आधार पर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 10 मई को ट्रिपल टेस्ट की आधी-अधूरी रिपोर्ट को लेकर बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने कोर्ट के फैसले पर संशोधन याचिका दाखिल की थी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देने का आदेश दिया। को कोर्ट ने राज्य सरकार से संशोधन याचिका पर कुछ जानकारी मांगी थी। सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी की निकायवार जानकारी कोर्ट के सामने रखी।

14 प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग को 16 फीसदी तथा अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी आरक्षण मिल रहा है।

अध्यक्ष की कलम से

''चिंतन से देश नहीं चला करते''

साथियों,

उदयपुर में सम्पन्न हुये कथित कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह पार्टी अब ''भारत जोड़ो'' यात्रा करेगी? महात्मा गांधी के कालजयी आन्दोलन ''भारत छोड़ो'' की शाब्दिक ध्वनि मात्र से यह मान लेना संभव नहीं है कि भारत खण्ड-खण्ड हो रहा है?

अपनी सम्पूर्णता में एक राष्ट्र भारत को कहाँ से जोड़ा जायेगा? और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बल्कि सच तो ये है कि आजादी के ठीक बाद में धारा 370 और 35ए की वजह से कश्मीर जो अलग दिखता है वह भी एक हो गया है।

मूलत: कांग्रेस का जन्म तो जेलों से बाहर हुआ लेकिन इसकी सारी परवरिश जेलों के भीतर हुई। प्राय: हर बड़ा कांग्रेस का नेता जेल गया और लम्बे समय तक जेल में रहा। जबकि वर्तमान जिस पार्टी को कांग्रेस कहा जा रहा है उसका नेतृत्व जेल शब्द मात्र से घबराता है।

लोकतंत्र सड़कों से परिभाषित और पोषित होता है। चिंतन से देश नहीं चला करते। दार्शनिक होने से कहीं अधिक सार्थक होता है कर्मशील होना। ''भारत जोड़ों'' जैसा बड़ा लेकिन भ्रामक नारा दे देने से जनता को बहलाया और बरगलाया नहीं जा सकता है सहलाया नहीं जा सकता है। कथित कांग्रेस यदि सच में फिर से समर्थ होना चाहती है तो वो पं0 नेहरू द्वारा 1961 में स्थापित आदर्श के अनुसार जाति आरक्षण की बेड़ियों से भारत को मुक्त करावे।

जय समता।

सम्पादकीय

बिना मनन चिंतन और मंथन

हर समय समापन की चिंता से भयभीत कथित कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया। दूसरी तरफ भाजपा ने भी तीन ही दिन का मंथन शिविर आयोजित किया। दोनों की बीच में मुश्किल से एक सप्ताह का ही अन्तर रहा। अब चिंतन में कितना मंथन हुआ या मंथन में कितना चिंतन हुआ यह जनरूचि का विषय हो सकता है लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के चिंतन अथवा मंथन में जन को रूचित का विषय माना गया हो ऐसा दिखाई नहीं देता।

बेशक कथित राजनैतिक पार्टियों के आधारभूत तत्व जन सेवा के मुद्दे अब गौण हुए है। यदि कुछ बड़ा हुआ है तो महज इतना कि लोक कल्याण का मूल संवैधानिक भाव अब पार्टी कल्याण में इतना समाहित हो चुका है कि कुल मिलाकर परिणाम लोक कष्टकारी हो गया है। उदाहरण के तौर पर कथित कांग्रेस के चिंतन शिविर में चिंतन का निष्कर्ष यह सामने आया कि अब ये बड़ी पार्टी निजि क्षेत्र में भी जाति आरक्षण की मांग करेगी।

यह बेहद निराशाजनक है कि जिसके पुरोधा पं0 जवाहर लाल नेहरू ने जाति आरक्षण को 1961 में देश के लिए अभिशाप बताया था उसी कथित कांग्रेस ने अपने मूल सिद्धान्त को भुलाकर जाति आरक्षण की नीति पर चलना स्वीकार किया है ? 2022 का साल पुरी दुनिया के लिए मारक कोरोना की पीड़ा से उभरने का साल होना चाहिये था लेकिन ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता है। गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त आज भी प्रासंगिक है और रूस-युक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने फिर से प्रमाणित कर दिया है। लेकिन इसी भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम के अपने आदर्श को छोड़कर जातिवाद के माध्यम से राष्ट्रीय कुटुम्ब को खण्ड-खण्ड कर डाला है।

कोई माने या नहीं, लेकिन दिखाई देने वाला सच ये है कि भारत 130 करोड़ जनसंख्या बोझ से लड़खड़ा गया है। एक समस्या सुलझती है कि दूसरी खड़ी हो जाती है। नीति और नैतिकता का कोई मोल नहीं रह गया है। हर छोटी-मोटी समस्या के लिए कानून बनाने की होड़ मची है जबकि अंग्रेजों के समय के राष्ट्रद्रोह जैसे साम्राज्यवादी सोच के अनेक कानून संसद और संविधान का मुंह चिढ़ा रहे हैं। बार-बार मांग उठती है कि यह संविधान अब देश के लिए उचित नहीं रह गया है लेकिन लोकतंत्र की सरकारों के पास यह सोचने-समझने का समय ही नहीं है कि अदालतों में लंबित साढे चार करोड़ मुकदमें देश के कानून के शासन को नकारते है।

दोनों बड़ी राजनैतिक पार्टियाँ भी कमोबेस छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों की तरह मात्र सत्ता पाने के सिद्धान्त तक सीमित होकर रह गई हैं। जनहित के नाम पर जनहित के सारे लोकतांत्रिक तरीके धीरे-धीरे अप्रासंगकि बना दिये गये है। धर्म, सम्प्रदाय, जाति ही अब मुख्य मुद्दे रह गये हैं। कोई नहीं जानना चाहता कि जन की भागीदारी को नुकसान करके राष्ट्र निर्माण का कार्य आखिर कैसे पुरा किया जा सकता है ? लेकिन फिर भी प्रत्यक्षत: यही दिखावा और ढोंग किया जा रहा है कि जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन चिंतन और मंथन के बाद मनन के धरातल पर वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

समाज के टुकड़ों पर राजनीति का गिद्ध भोज

यदि यह सोचा जा रहा है कि आरक्षण के विरोध में मुखरित स्वर चन्द धरनों, रैलियों, कानूनबाजियों के बाद अपने आप मंद पड़ जाएगा और विभाजित समाज का एक वर्ग सत्तारूढ़ दल का समर्थक बना रहेगा तो इससे बुरी और आत्मघाती सोच कुछ और हो ही नहीं सकती। राजनेता शायद यह सोचते हैं कि जिस प्रकार नक्सलवाद या मुंबई के आतंकी हमले और नेताओं के घोटालों की खबरें अखबारों की सुर्खियों से हट गई या मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते समय हुए आत्मदाहों के प्रति देश की संवेदना भोथरी हो गई है, उसी प्रकार थोड़े दिनों में आरक्षण के खिलाफ खड़े लोगों का आक्रोश अखबारों में प्रमुखता खो देगा और पीड़ित आदमी की संवेदना भोथरी हो जाएगी। यदि सोच यही है तो एक बेहद नादान सोच है, जिसमें अदूरदर्शिता के साथ सत के अहंकार की गंध भी आती है और इस सोच के चलते न तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का दूर तक कोई राज चल सकता है और न ही देश। देश के अस्थिर हो जाने और समाज के विखण्डन के साथ आरक्षित-अनारक्षित के वर्ग संघर्ष के भावी खतरों से भरे इस सोच को जितना जल्दी नष्ट कर सकें, नष्ट किया जाना चाहिए। देश में आतंकी हमले और खून खराबा कुछ पथ भ्रष्ट लोगों द्वारा बाह्य प्रेरित और प्रेरणाविहीन है, जिसे सहन किया जा सकता है मगर समाज में बढ़ रहे आपसी द्वेष और प्रतिभा पुंज को कुचलने और गलत नीतियों की तलवार से उसकी हत्या से वितृष्णा, घृणा और आक्रोश की चिंकारियां फूटती है और कालान्तर में वे धीरे-धीरे चारों ओर अग्नि कुंडों का निर्माण करती है। ये अग्नि कुंड साक्षात विद्रोही भी बन सकते हैं। वे जो स्वयं की आहूति का सोचते हैं, वे कभी दूसरों की आहूति देने का सोचने लगे तो विभाजित समाज में वोट की सीमाएं तो लक्ष्मण रेखाएं बन जाएंगी किन्तु सत्य और यथार्थ का वहन करने वाले पक्षीराज जटायुओं के चिथड़े-चिथड़े उड़ जाएंगे, तब देश की अस्मिता के शील हरण को कौन रोकेगा? देश का हर चिन्तनशील नागरिक राजनीतिक दलों के सत्ता-स्वार्थ की बेदी पर बलि हो रही देश की प्रतिभा के प्रति चिन्तित है और कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में अपना सिर पीट रहा है। समाज आन्तरिक विस्फोट के कगार पर खड़ा है, वहीं पर राजनीतिक दल विस्फोट की इस उद्देश्य से प्रतिक्षा कर रहे हैं कि समाज की एकता के टुकड़े-टुकड़े हों और कोई बड़ा टुकड़ा उनकी झोली में गिरकर सिंहासन पर बैठने और उस पर बने रहने की उनकी योग्यता को प्रमाणित करे।

देश में आतंकी हमले और खून खराबा कुछ पथ भ्रष्ट लोगों द्वारा बाह्य प्रेरित और प्रेरणाविहीन है, जिसे सहन किया जा सकता है मगर समाज में बढ़ रहे आपसी द्वेष और प्रतिभा पुंज को कुचलने और गलत नीतियों की तलवार से उसकी हत्या से वितृष्णा, घृणा और आक्रोश की चिंकारियां फूटती है और कालान्तर में वे धीरे-धीरे चारों ओर अग्नि कुंडों का निर्माण करती है। ये अग्नि कुंड साक्षात विद्रोही भी बन सकते हैं। वे जो स्वयं की आहूति का सोचते हैं, वे कभी दूसरों की आहूति देने का सोचने लगे तो विभाजित समाज में वोट की सीमाएं तो लक्ष्मण रेखाएं बन जाएंगी किन्तु सत्य और यथार्थ का वहन करने वाले पक्षीराज जटायुओं के चिथड़े-चिथड़े उड़ जाएंगे, तब देश की अस्मिता के शील हरण को कौन रोकेगा ?

दरअसल समाज को टुकड़ों में बांट कर अपनी-अपनी थाली में सबसे बड़ा टुकड़ा रखकर जल्दी से जल्दी भक्षण कर जाने के गिद्ध भोज के भोजक बने हुए हैं हमारे राजनीतिक दल। भांति-भांति के आरक्षणों की व्यवस्था कर मानो सरकारें शेर पर सवार हो गई। शेर बेलगाम है और पूरे समाज को भयभीत कर रहा है। केवल वे ही (सरकारें) इससे उत्तर कर इसे रोक सकती हैं मगर शेर से उतरते ही शेर का पहला निशाना बनने का भय भी उन्हें सता रहा है। अब फैसलार तो उन्हें ही करना है कि शेर से उतर कर वे शेर के शिकार होने का खतरा उठाकर उसे हमेशा-हमेशा के लिए सुला दे अथवा अनियंत्रित शेर को देश की प्रतिभा का भक्षण करने दें।

-लेखक डॉ.अमरसिंह राठौड़

सूचना का अधिकार बनाम जीने का अधिकार

आजाद भारत में देश की जनता को जो सबसे बड़ी सौगातें मिली हैं उनमें से एक है- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005। आज देश में कितने ही स्वयंसेवी संगठन ऐसे है जो इसी अधिकार के बल पर अपनी आवाज बुलन्द कर पा रहे हैं।

एक क्षण को सोच लें कि देश की जनता के पास यह अधिकार नहीं है तो यह हृदय विदारक सच सामने आयेगा कि लोकतंत्र में लोक की सुनवाई का इससे कारगर दूसरा तरीका नहीं है। कोई व्यक्ति पोस्ट कार्ड से लेकर रजिस्टर्ड, स्पीडपोस्ट, बीमाकृत पत्र आदि-आदि कुछ भी सरकार को भेज दे। उसके पत्र पर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। बल्कि शत-प्रतिशत संभावना तो ये है कि उसे पत्र की पावती तक नहीं दी जायेगी। वही व्यक्ति यदि सूचना का अधिकार के तहत अपनी अर्जी लगाता है तो कम से कम यह तो निश्चित है कि उसे अधिकतम 30-35 दिनों में कोई ना कोई जवाब तो अवश्य मिलेगा।

भ्रष्टाचार मिटाने और जनता को उसका न्यूनतम अधिकार दिलवाने में सूचना का अधिकार अधिनियम ने बेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर जहाँ-जहाँ भी सच्चे और कर्मठ कर्मचारी और अधिकारी बैठे हैं वहां तो निश्चित है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की अर्जी एक राहत के रूप में ही सामने आयेगी।

लेकिन निजि स्वार्थ और छद्म, तामस अहंकार के चलते ऐसा कम ही हो पाता है। अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी सूचना का अधिकार का आवेदन देने वाले को व्यक्तिगत विरोधी मानने लगते हैं। इसी का बुरा परिणाम ये है कि देश में अब तक दो दर्जन से अधिक लोगों की हत्या इस कारण हो चुकी है कि वे आर.टी.आई लगाते थे।

सरकारी मशीनरी वैसे "पब्लिक सर्वेन्ट" की श्रेणी में आती है किंतु सच्चाई इससे एकदम उलटी है। वास्तविकता तो ये है कि आज सरकारी कारिन्दों और जनता के बीच की दूरी अंग्रेजों के जमाने से कही ज्यादा है। हर कार्यालय के प्राय: अधिकतम कर्मचारी नीति-नियमों के स्थान पर मनमानी को अधिक महत्व देते है। आर.टी.आई एक्ट भी इस बीमारी से बच नहीं पाया है। जैसे ही किसी कार्यालय में कोई अर्जी आती है वैसे ही सब कर्मचारी और अधिकारी उसे निराधार और अनुपयोगी ठहराने की जुगत में लग जाते हैं। अब याचक तो एक और उसको गलत ठहराने की कोशिश करने वाले होते हैं सैंकड़ों। बावजूद इसके इस तरह के सैंकड़ों मामले है जो आर.टी.आई के कारण ही सुलझे है। ना केवल सार्वजनिक अपितु निजि मामलों के लिए भीयह एक अच्छा साधन है। समता ज्योति के अगले अंक में हम अपने पाठकों को इस एक्ट की जानकारी देना शुरू कर रहे है।

पौराणिक कथन : 'त्रित'

ब्रह्मा के पुत्र एक ऋषि जो शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह से मिलने कुरूक्षेत्र गये थे।।

सत्ता तुमने क्या कर डाला,
जात बना दी दूषित माला।
पहन इसे सब मतवाले बन -
झूम रहे ज्यों पीकर हाला।।

कविता

''कम पढयोड़ा मौज करे''

हुकम हुयो सुपरिम कोर्ट रो
लागू इने करावोला,
हिलमिल ने प्रयास करों तो
आपां ही सुख पावोला।
बाँट दियो आरक्षण ऐड़ो,
ज्यू बन्दर बाँटे रोटी ने
पड़नो है अब इणरे लारे
पकड़ हाथ में सोटी ने,
अब भी नहीं सम्भलोला थे तो
टाबरीया पछतावेला
मगरमच्छ भण ने ऐ नेता
आखा ही गटकावेला
हुकम हुयो.....
पढियो लिखियो चपरासी न
कम पढियो अफसर भणग्यो
नहीं जाणें क के रो पून ओ
ठोठो मिनिस्टर भण्ग्यो
कम पढियोड़ा मौज करें ने
पढिया गगा खावेला
अबके भीरों नहीं चेता तो
हाथ कुछ नहीं आवेला
हुकम हुयो.....
धरतो पोण ही, आरक्षण सू
ये नौकरियों ले लीनी हो
अब कई मोंरे माथे मोंगो
परमोशन में पैली हो
चेतो अब सरकार नहीं तो
शीश री भेंट चढावोला
फैसलो लागू नहीं किया तो
फेर सता पलट बतलावो ला।
हुकम हुयो सुपरिम कोर्ट रो
लागू इने करावोला,
हिलमिल ने प्रयासकरोंतो
आपां ही सुख पावोला।

– साभार: जोधपुर संभाग समता आन्दोलन

संविधान की एक मौलिक विशेषता

गतांग से आगे:

यहाँ केवल दो तथ्य अलग से जोडने की आवश्यकता है।

ये सब स्थितियाँ उस समय की हैं, जब आरक्षण 22.5 प्रतिशत या इसके इर्द-गिर्द रखा गया था। उसके बाद तो 50 प्रतिशत आरक्षण ही एक मानदंड बन गया।

दूसरा तथ्य, उस समय अधिकतर राज्यों में पदोन्नति का कोटा द्वितिय, तृतीय और चर्तुथ श्रेणी के पदों तक ही सीमित था। उसके बाद संविधान में संशोधन करके प्रत्येक सेवा में और 'प्रत्येक स्तर पर' पदोन्नति कोटे की व्यवस्था कर दी गई। उस समय की स्थिति की कल्पना करें, जब सचिव और अतिरिक्त सचिव के दूसरे पद इसी तरह भर दिए जाएँ- यानी ऐसे लोगों द्वारा, जो निश्चित रूप से संबंधित पद के लिए आवश्यक योग्यता से हीन हों।

इन तथ्यों के प्रकाश में सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत की उस चेतावनी के संदर्भ में क्या कहेगा, जो उन्होने इंद्रा साहनी मामले में अपनी टिप्पणी में दी थी? क्या वह चेतावनी सच साबित नहीं हुई? जैसा उन्होने कहा था, ठीक वैसा ही तो हो रहा है- सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों में असंतोष और अन्याय अथवा पक्षपात की भावना उत्पन्न हो रही है और उधर आरक्षण प्राप्त कर्मचारी हर स्थिति में - चाहे वे काम करें या नहीं -निरंतर पदोन्नत होते जा रहे हैं। यह दुष्परिणाम व्यक्तिगत स्तर पर किसी कर्मचारी विशेष तक सीमित नहीं है- जैसा न्यायमूर्ति सावंत ने कहा था कि प्रशासन उस पूरे माहौल पर निर्भर करता है,जिसमें पूरा सरकारी तंत्र कार्य करता है और यहीं माहौल बिगडता जा रहा है; सेवाएँ जाति के आधार पर विभाजित हो गई हैं; अधिकारियों में यह धारणा बन गई है कि योग्यता और कार्य - कुशलता का कोई महत्व नहीं रहा; अधिकारी अपने अधीनस्थों के खराब प्रदर्शन या खराब चरित्र के बारे में बोलने या लिखने का साहस नहीं कर पाते, इस डर से कि कहीं किसी जाति विशेष का विरोधी न मान लिया जाए।

संविधान की एक मौलिक विशेषता

इस पुस्तक की विषय -वस्तु मूलत: संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 पर आधारित है। लेकिन ध्यान रहे कि इस तरह कि कई सारी बातें अनुच्छेद 330 और 332 में भी लागू होती हैं। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत लोकसभा की 543 और राज्य विधानसभाओं की 4091 सीटों में से क्रमश: 120 और 1081 सीटें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में सीटों का अलग से विभाजन किया गया है। उदाहरण के लिए, लोकसभा की कुल आरक्षित 120 सीटों में से 79 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और शेष 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों पर केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड सकते हैं।

न्यायमूर्ति सावंत ने कहा था कि प्रशासन उस पूरे माहौल पर निर्भर करता है,जिसमें पूरा सरकारी तंत्र कार्य करता है और यहीं माहौल बिगडता जा रहा है; सेवाएँ जाति के आधार पर विभाजित हो गई हैं; अधिकारियों में यह धारणा बन गई है कि योग्यता और कार्य -कुशलता का कोई महत्व नहीं रहा; अधिकारी अपने अधीनस्थों के खराब प्रदर्शन या खराब चरित्र के बारे में बोलने या लिखने का साहस नहीं कर पाते, इस डर से कि कहीं किसी जाति विशेष का विरोधी न मान लिया जाए।

यहाँ चार बातें उल्लेखनीय हैं, जो स्थिति को स्पष्ट कर देती हैं। पहली बात, जैसा हमने देखा, वर्ष 1932 में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड को असफल बनाने के लिए गांधीजी को इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था स्वीकार करनी पडी थी। उस समय यही माना जा रहा था कि यह आरक्षण की व्यवस्था केवल बीस वर्षों के लिए ही होगी। इसके अनुसार, यह व्यवस्था 1952 में समाप्त हो जाती थी। लेकिन यह आज भी जारी है- सच तो यह है कि इस बात पर कोई विचार करने का साहस नहीं कर पा रहा है कि भविष्य में विधायिका में आरक्षण की यह व्यवस्था कब खत्म होगी।

दूसरी बात, इस जाति - आधारित आरक्षण के परिणामस्वरूप चुनकर आनेवाले विधायक स्वंय को उस जाति श्रेणी के व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं- वे दलीय सिद्धांत से अलग एक जाति - समूह के रूप में कार्य करते हैं। इसका विधायिका की कार्यप्रणाली और नीति पर तात्कालिक प्रभाव पडता है। ऐसे विधायकों के सामने सभी दलों को झुकना पडता है और आज की जैसी स्थिति में तो और भी ज्यादा । ये विधायक जितना ज्यादा से ज्यादा जाति -केंद्रित होकर कार्य करते हैं, उनका काम उतना ही ज्यादा आसान होता चला जाता है, वे उतने ही सफल होते जाते हैं। वे जितने ज्यादा सफल होते हैं, उनकी जातीय पहचान उतनी ही मजबूत बनती जाती है- उनकी स्वंय की नजरों में, उनके मतदाताओं की नजरों में और कार्यपालिका की नजरों में।

तीसरी बात, इन जातीय और जनजातीय समूहों की जनसंख्या संबंधित आरक्षित चुनाव क्षेत्र में 20 से 30 प्रतिशत बताई जाती है। चूँकि आरक्षित सीट पर केवल इन्हीं जातीय / जनजातीय समूह के सदस्य चुनाव लड सकते हैं, अत: 70 से 80 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के मतदाता अपना प्रतिनिधि भेजने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

चौथी बात, सामान्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख उपजातीय अथवा जनजातीय समूह - उदाहरण के लिए सवाई माधोपुर क्षेत्र में मीणा जाति - दशकों तक सीट पर कब्जा रखने में सफल हो जाता है।

ये सभी बातें संविधान में उल्लिखित प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के विरूद्ध हैं, जबकि यह संविधान की एक मौलिक विशेषता है। लेकिन फिर भी निकट भविष्य में इस व्यवस्था में सुधार के कोई आसार दिखाई नहीं देते।

सरकारी ढाँचा और उसके इतर

अंत में सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा- कि उनका नुस्खा एक पुनरूक्ति मात्र है, जो प्रगतिशील न्यायाधीशों की धारणाओं से ही मिलता है और जिसे ये प्रगतिशील न्यायाधीश संविधान में प्रयुक्त शब्दों के अपने वाछिंत अर्थ - निरूपण से न्याय - संगत बनाते रहे हैं। किंतु उनके अपने दृष्टिकोण और इस पुस्तक की विषय - वस्तु के आधार में कुछ मौलिक अंतर भी है।

* 'मनुस्मृति' का संकलन, जहाँ तक हमें ज्ञात है, सात सौ वर्षों में किया गया था - इसके कौन से श्लोक अथवा पद मूल मनुस्मृति के हैं और कौन से बाद में क्षेपक के रूप में जोड़े गए हैं?और क्षेपक भी है तो वह किस प्रकार के या किस श्रेणी के व्यक्तियों का है?
* मनुस्मृति के कुछ श्लोकों में भारत का जो स्वरूप दिखाया गया है, क्या भारत वैसा कभी था?
* क्या आज का भारत वैसा ही है जैसा मनुस्मृति के कुछ श्लोंको के अनुसार उसे दो हजार वर्ष पूर्व होना चाहिए था?
* मान लीजिए, 'आज के भारत की वास्तविकता' वही है, जो ये प्रगतिशील न्यायाधीशगण बता रहे हैं; ऐसे में क्या हमें आज की 'वास्तविकता ' पर ध्यान केंदिञत करना चाहिए या ऐसे उपाय करने चाहिए, जो इस 'वास्तविकता' को ही समाप्त कर दें?
* यदि मान भी लिया जाए कि अन्याय और पक्षपात शताब्दियों से चला आ रहा है, तो क्या इसे कुछेक वर्षों में मिटाया जा सकता है? इसे कुछ ही वर्षों में मिटाने के उददेश्य से उठाए जानेवाले कदमों से क्या असमानता, विसंगति और विघटन की स्थिति नहीं होगी? जैसी इतिहास में प्राय देखी गई है - उदाहरण के लिए, समानता और न्याय के नाम पर स्थापित शासन-पद्धतियों का हाल ही इतिहास।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

समता आन्दोलन स्थापन दिवस

लम्बी और सफल छलांग को फिर तैयार हुआ समता आंदोलन

(पेज -1 का शेष)

मंच से सभी उदबोधन प्रेरणादायी और ऊर्जा से भर देने वाले रहे। लेकिन उस समय पूरा प्रेक्षागृह तालियों से गूंज उठा जब संरक्षक जस्टिस करणी सिंह ने कहा कि मैं समता आंदोलन को समझ गया हूं आज के बाद से हर समय मैं इसके साथ रहूँगा और काम करूँगा। 95 साल के समता संरक्षक जस्टिस पानाचंद ने कहा कि मैं जब भी समता आंदोलन के कार्यक्रम मे आता हूँ एक आशा और विश्वास से भर जाता हूँ। मेरा विश्वास है कि हमें वो सभी कुछ प्राप्त होकर रहेगा जो संविधान सम्मत है।

पूर्व आईएएस और समता संरक्षक भागीरथ शर्मा ने अपने प्रशासनिक अनुभवों के आधार पर समता आंदोलन की सक्रियता को प्रदेश और देश की लोक कल्याणकारी अन्त्योदय योजना का उदाहरण देकर प्रमाणित किया। इसी समय राजपूत सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राम सिंह चंदलाई ने अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ललित सिंह सांचोरा ने जाति आरक्षण को सभी समाजों और अन्ततः भारत देश के लिये नुकसानदायक बताया।

महासचिव आर एन गौड ने भविष्य के लिये आव्हान करते हुए कहा कि हमारी उपलब्धियाँ बेशुमार हैं लेकिन अंतिम उद्देश्य प्राप्त करना अभी बाकी है। सचिवालय के प्रतिनिधी के रूप में सिंगडोदिया ने ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि हमारे साथ अब नया खून अर्थात युवा साथी जुडते जा रहे हैं जो इस बात का संकेत है कि समता की धारा लगातार आगे बढती रहेगी। विधी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिराज राठौड राजस्थानी भाषा मे बोलते हुए वर्तमान समय में समानता और समरसता के लिये विधी के महत्व को आवश्यक बताया।

जातिवाद कर रही राज्य सरकार

समता आंदोलन के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने गत दो वर्षों की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार जातिगत आधार पर नागरिकों को प्रताडित करने वाले कार्य कर रही है। जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों को संरक्षण और प्रोत्साहन दे रही है। समता आंदोलन सभी जातिवादी गतिविधियों एकत्र कर रहा है जिन्हें विधानसभा चुनावों में जनता के सामने ले जाया जाएगा।

ऋान्वेषी प्रो. राजेश राज ने आयोजन को आध्यात्मिक दिशा देते हुए सनातन मूल्यों को समता आंदोलन समानार्थक बताते हुए मन, प्राण और मस्तिष्क की शक्तियों का महत्व बताया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर सेवदा ने अपने अनुभव बांटते हुए कहा कि हमें हमेशा धनात्मक रहना चाहिये क्योंकि अन्ततः जीत हमारी ही होनी है।

बी एल विजय पूरे आयोजन में आकर्षण का केन्द्र रहे। बी एल विजय ने जितना और जैसा समर्पण भाव का प्रयोग करके परिश्रम और निष्ठा का अदभुत प्रमाण प्रस्तुत करते हुए बताया कि कैसे वे दिन रात केवल समता आंदोलन की वृद्धि के बारे में ही सोचते और काम करते हैं। इसी के चलते वे 50 हजार से अधिक सोशल मीडिया सदस्य बना चुके हैं और आठ लाख रूपये के लगभग आर्थिक साधन जुटा चुके हैं। उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली का वर्णन करते हुए सबको प्रोत्साहित किया।

समता आंदोलन के उपाध्यक्ष योगेन्द्र मेघसर ने कहा कि हम न थकेंगे न पीछे हटेंगे। आरक्षण संवैधानिक अधिकारों का बड़ा और जटिल प्रश्न है। लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा लेकिन सरल और खुला है। जो बिना किसी को नुकसान पहुँचाये अपने आदर्शों को पाने के लिये संकल्पित है।

सबसे अन्त में बोलते हुए समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में भी समता का भाव सक्रिय रहा। अब हम इस आरोप से मुक्त होते जा रहे हैं कि आंदोलन केवल कर्मचारियों तक सीमित है। सामाजिक, पर्यावरण एवं वैचारिक गतिविधियाँ समता आंदोलन को बाकी संगठनों से अलग और विशेष दर्जा देती है। दिल्ली में संसद मार्ग का विशाल सफल धरना और जयपुर अमरूदों के बाग में अखिलेश यादव के सम्मान में हुई पचास हजार लोगों की रैली को उपलब्धि बताते हुए घोषणा की कि अगले एक साल में हम जाति आरक्षण पर सीधा और कारगर कदम उठाते हुए दिल्ली में एक लाख समतावादियों की रैली की जाएगी। इस घोषणा का सभी समतावादियों ने उल्लास के साथ स्वागत किया।

सम्पूर्ण मंचीय कार्यक्रम का संचालन विकास शर्मा ने किया।

इन्होंने भी किया सम्बोधित

समारोह को संघ शक्ति के संयोजक महावीर सिंह सरवडी, माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष प्रदीप बाहेती, महामंत्री विमल चोरडिया, जिलाध्यक्ष दीपक सिंघल, चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम सुंदर सेवदा ने भी संबोधित किया।

मीणा जाति के व्यक्तियों के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री व सभी विधायकों को पत्र लिख कर मांग की गई है कि अविधिक पत्र दिनांक 11.11.2016 को तत्काल वापस लिया जावे तथा पत्र दिनांक 30.09.2014 एवं 23.12.2014 को पुनः जारी किया जावे।

पत्र में निवेदन किया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिका संख्या 1862/2013 में प्रस्तुत शपथपत्र एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच द्वारा याचिका संख्या 13978/2013 में जारी आदेश दिनांक 18.02.2014 की पालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उपरोक्त पत्र दिनांक 30.09.2014 एवं 23.12.2014 जारी करके सभी जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया था कि मीणा (Meena)समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मीना (Mina) जाति के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावे।

दुर्भाग्य से तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के मीणा समुदाय के दबाव में आकर दिनांक 11.11.2016 को एक अविधिक पत्र जारी करके उपरोक्त पूर्व में जारी पत्र दिनांक 30.09.2014 एवं 23.12.2014 को वापिस ले लिया। राज्य सरकार का ये कृत्य राजस्थान के लाखों एवं पूरे देश के करोडों असली आदिवासियों के साथ अन्याय है, धोखा है, विश्वासघात है।

राज्य सरकार द्वारा इस क्रम में अपने पत्र क्रमांक एफ11 (204) मीना-मीणा/डीडीबीसी/सान्या अधि/पार्ट -4/2018/72851 दिनांक 05.10.2018 के जरिये केन्द्र सरकार से मीना (Mina)/ मीणा(Meena) विवाद में स्पष्टीकरण चाहा गया। केन्द्र सरकार के जनजाति मंत्रालय (C&LM Division) ने पत्र क्रमांक 16016/6/2011-C&LM-1 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा राज्य सरकार को पुनः स्पष्ट निर्देश दिये है कि मीणा (Meena) समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मीना (Mina) जाति के नाम से जनजाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जायें। इस पत्र में यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गए है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्टेट ऑफमहाराष्ट्र बनाम मिलिंद के प्रकरण में दिनांक 28.11.2000 को जारी आदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

पत्र में प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 11.11.2016 को तत्काल वापस लिया जावे तथा उपरोक्त पत्र दिनांक 30.09.2014 एवं 23.12.2014 को पुनः जारी किया जावे। ताजा संदर्भ के लिए राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.09.2014,23.12.2014,11.11.2016 तथा केन्द्र सरकार के पत्र दिनांक 28.6.2021 की फोटो प्रतियां भी साथ संलग्न की गई है।

पत्र में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर करोडों आदिवासियों के हित में वांछित कार्यवाही नहीं करते है तो न्यायालय की शरण में जाना होगा तथा आपकी सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार प्रचारित करना होगा।

एसीबी पर अब आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का हमला

भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाने का लगाया आरोप

जयपुर: भ्रष्टाचार के मामले को लेकर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बाद अब आरक्षित वर्ग के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर हमला बोला है।

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ के पदाधिकारियों ने एसीबी पर आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को फंसाने का आरोप लगाया है। संवाददाता सम्मेलन में शनिवार को महासंघ के जिला अध्यक्ष डीआर राठौड, महामंत्री रामकुमार मीणा ने कहा कि जब से एसीबी के मौजूदा शीर्ष अधिकारी आए हैं, तब से एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। दर्जनों ऐसे मामले आए हैं जिनमें एसीबी को गलत कार्रवाई के बाद माफी मांगनी पडी और एसीबी द्वारा पेश दस्तावेज को भी न्यायालय ने गलत माना।

आवासन मंडल के एक अभियंता को गलत तरीके से फंसा कर 45 दिन तक जेल में रखा गया। अगर एसीबी ने आीक्षित वर्ग के खिलाफ इसी तरह की नीति जारी रखी और फर्जी ट्रैप करना बंद नहीं किया तो महासंघ आंदोलन शुरू करेगा।

निष्पक्ष कार्रवाई और ईमानदार अफसरों का साथ देती हैं एसीबी: बी.एल.सोनी

कुछ लोग चाहते है कि भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ एसीबी कार्रवाई नहीं करे। एसीबी के पास परिवादी आता है तब, भ्रष्ट अधिकारी को देखा जाता है, उसकी जाति नहीं देखी जाती, एसीबी ने अधिकतर सभी जाति के अधिकारियों को रिश्वत मांगते रंगे हाथों पकडा है। एसीबी ईमानदार अधिकारियों की पैरवी करती है।

शिक्षक लेवल एक भर्ती: आरक्षित पदों की गणना में एक और पेंच

अभी शिक्षक लेवल वन भर्ती के दौरान आरक्षण की गणना को लेकर एमबीसी-ओबीसी मामले को किसी तरह से विभाग ने थामा ही था, कि अब एक नया बवाल उठ खडा होता हुआ दिखाई दे रहा है।

एमबीसी वर्ग के पदों की गलत गणना का मामला उजागर होने के बाद अब विशेष शिक्षा के वीआई सामान्य अभ्यर्थियों ने आरक्षित पदों में अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की शिकायत कर दी है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग की विज्ञप्ति में विशेष शिक्षा वीआई में सामान्य के 44 पद बताए थे। बाद में 27 फरवरी को परिणाम में पदों का वर्गीकरण नहीं बताया। परन्तु 22 मार्च के परिणाम में इस वर्ग के 22 अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया। फिर 17 अप्रैल को जारी परिणाम में वीआई सामान्य पदों पर अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के 7 अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in